

## मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/एफ-9/12/90/10/3

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2003

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

म०प्र० भोपाल

**विषय :-** जलाऊ लकड़ी में सूखत का प्रतिशत निर्धारण बाबत।

—0—

उपरोक्त विषय में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1999 तक के जलाऊ लकड़ी के प्रकरणों में जलाऊ लकड़ी में सूखत के कारण कमी भूतलक्षी प्रभाव से निम्नानुसार मान्य की जावे:-

क्रमांक	कटाई के बाद की अवधि	भार में कमी का प्रतिशत			भार में कुल कमी (प्रतिशत में)	
		सूखत के कारण	सङ्घने के कारण	हैंडलिंग के कारण	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्रथम वर्ष	15	10	2	27	27
2.	द्वितीय वर्ष	5	10	0	15	42
3.	तृतीय वर्ष	0	15	0	15	57
4.	चतुर्थ वर्ष	0	20	0	20	77
5.	संचाम वर्ष	0	23	0	23	100

2/ लेकिन यह कमी उन प्रकरणों में लागू नहीं होगी, जिनमें जलाऊ लकड़ी का निर्वर्तन चाटटों के रूप में ही किया गया हो।

3/ कृपया उपरोक्तानुसार प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं की गई कार्यदारी से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

(रतन पुरवार )

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक /9/12/90/10/3

प्रतिलिपि :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग